न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 26/2020

अनुवान मनोजदेवी बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2020

मनोजदेवी पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम उदासर बिदावतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल पत्नी इन्द्राज निवासी खण्डवा तहसील एवं जिला चूरू राजस्थान

—वादीनी—

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री सांवर मल सारण वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमियां ख0 नं0 31 व 450/34 तादादी क्रमशः तादादी 5.0800, 3.9200 हैक्टेयर कुल तादादी 9.0000 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान एवं कृषि भूमियां ख0 नं0 158, 169, 19, 277, 278, 331, 332 तादादी क्रमशः 2.3000, 7.1300, 6.9100, 0.0800, 2.9200, 0.0800, 0.3800 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान तहसील सरदारशहर में स्थित [illegible] भूमियों के राजस्व अभिलेखों में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम है। वादगत कृषि भूमियों के अन्य सह काश्तकारों को वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादीनी के नाम संशोधन से उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमियां वादीनी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमियां है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम है। वादगत कृषि भूमियों में वादीनी का नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमियों की वादीनी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने की अधिकारी है।

वादीनी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, पेनकार्ड भामाशाह, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों में मनोजदेवी पुत्री बेगाराम अंकित है जो सही है। वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने की वादीनी कानूनन अधिकारी है। वादीनी का वास्तविक नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम है जबकि वादगत कृषि भूमियों के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का मंजू पुत्री बेगाराम होने के कारण वादीनी को केसीसी, विभिन्न सरकारी व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीनी को करना पड़ता है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश गलत दर्ज नाम मंजू पुत्री बेगाराम के स्थान पर सही नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीनी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीनी ने कभी अपनी कृषि भूमियों के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीनी पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गयी तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीनी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादीनी तहसीलदार सरदारशहर से मिली और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीनी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण दावा पेश किया गया हैं।

वादीनी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमियां ख0 नं0 31 व 450/34 तादादी क्रमशः तादादी 5.0800, 3.9200 हैक्टेयर कुल तादादी 9.0000 हैक्टेयर [illegible] बिदावतान एवं कृषि भूमियां ख0 नं0 158, 169, 19, 277, 278, 331, 332 तादादी क्रमशः [illegible], 7.1300, 6.9100, 0.0800, 2.9200, 0.0800, 0.3800 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिन भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीनी का सही नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीनी का सही नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत काकलासर के अनुसार मंजु व मनोज दोनों नाम एक ही महिला के हैं।

वादीनी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 31, 450/34 की छायाप्रति।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 158, 169, 19, 277, 278, 331, 332 की छायाप्रति।
3. वादीनी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. वादीनी की कक्षा 12 की अंकतालिका की छायाप्रति।
5. वादीनी के भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
6. वादीनी के पैन कार्ड की छायाप्रति।
7. सरपंच ग्राम पंचायत काकलासर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं ग्राम पंचायत काकलासर के अनुसार मंजु व मनोज दोनों नाम एक ही महिला के हैं अंकित किया हैं। बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम मनोजदेवी पुत्री बेगाराम अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमियां ख0 नं0 31 व 450/34 तादादी क्रमशः तादादी 5.0800, 3.9200 हैक्टेयर कुल तादादी 9.0000 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान एवं कृषि भूमियां ख0 नं0 158, 169, 19, 277, 278, 331, 332 तादादी क्रमशः 2.3000, 7.1300, 6.9100, 0.0800, 2.9200, 0.0800, 0.3800 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिन भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीनी का सही नाम मनोजदेवी उर्फ मंजू पुत्री बेगाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	उदासर बिदावतान	31 व 450/34	मंजू पुत्री बेगाराम	मनोजदेवी उर्फ मंजू पुत्री बेगाराम
2.	उदासर बिदावतान	158, 169, 19, 277, 278, 331, 332		

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix ‘D’)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)

वादपत्र संख्या 26/2020

अनुवान मनोजदेवी बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सांवरमल सारण एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमियां ख0 नं0 31 व 450/34 तादादी क्रमशः तादादी 5.0800, 3.9200 हैक्टेयर कुल तादादी 9.0000 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान एवं कृषि भूमियां ख0 नं0 158, 169, 19, 277, 278, 331, 332 तादादी क्रमशः 2.3000, 7.1300, 6.9100, 0.0800, 2.9200, 0.0800, 0.3800 हैक्टेयर रोही उदासर बिदावतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीनी की खातेदारी कृषि भूमियां है जिन भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम मंजू पुत्री बेगाराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीनी का सही नाम मनोजदेवी उर्फ मंजू पुत्री बेगाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत....................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	[illegible]ाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	[illegible]स [illegible]श्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बा[illegible] हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मि[illegible]	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested